



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052025-262941
CG-DL-E-06052025-262941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1986]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947

No. 1986]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

का.आ. 2031(अ).— वित्त अधिनियम, 2017(2017 का 7) की धारा 151 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, मई 2015 की 9 तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) में संशोधन से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 152 और 153 प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 6/7/2017-बीओ.II]

मानसा गंगोत्री काटा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2025

S.O. 2031(E).— In exercise of the powers conferred by section 151 of the Finance Act, 2017 (7 of 2017), the Central Government hereby appoints the 9th day of May, 2025 as the date on which sections 152 and 153 of the said Act, relating to amendments in the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), shall come into force.

[F. No. 6/7/2017-BO.II]

MANASA GANGOTRI KATA, Director